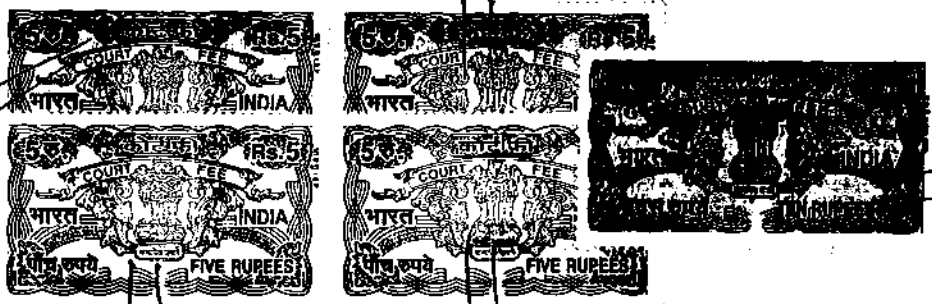

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, केम्प–उज्जैन संभाग

निगरानी-0385/2019/रतलाम/भू.रा.सं.

बाबुलाल पिता नानुराम खारोल,
निवासी– आलोट, जिला–रतलाम

आवेदक/अपीलांट

बनाम

डालुराम मृतक द्वारा वारिस
1. लक्ष्मीनारायण पिता डालुराम मीणा,
2. शांतिबाई पिता डालुराम मीणा,
3. मुन्नालाल पिता डालुराम मीणा (मृत),
4. नंदलाल पिता डालुराम मीणा,
5. काशीराम पिता डालुराम मीणा,
6. गुड्डू पिता डालुराम मीणा,
निवासी– मीणा कॉलोनी आलोट, जिला–रतलाम

प्रार्थी अभिभाषक श्री डी. आर. यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 1-2-19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

अनावेदक/रेस्पोडेंटगण

पुनरीक्षण

658
01/2/19.

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. बनाराजगदी आदेश जो कि माननीय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्र.क्र. 575/अपील/2017–18 में दिनांक 12/12/2018 को पारित किया गया हैं, जिसके माध्यम से न्यायालय तहसीलदार आलोट द्वारा 5/अ–70/11–12 में पारित आदेश दिनांक 14/01/2017 को पारित किया गया हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी आलोट के समक्ष प्रस्तुत अपील क्रमांक 23/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04/01/2018 को पारित किया गया हैं, से असंतुष्ट होकर।

मान्यवर महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक आवेदन–पत्र माननीय अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि सर्वे क्रमांक 1333/1 की पश्चिमी मेड पर डालुराम जो कि वर्तमान अपीलांट के पिता थे, के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया हैं। उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाकर उसका कब्जा रेस्पोडेंट को दिलवाया जावें। उक्त आवेदन को माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/06/2010 को आदेश पारित करते हुवे उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेंटगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय आलोट के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें सुनवाई के उपरांत दिनांक 31/01/2011 को इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रकरण में साक्ष्य लिये जाने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषो के आधार पर निराकरण किया जावें। तद उपरांत उक्त प्रकरण माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित रहा तथा प्रकरण में प्रार्थी बाबुलाल का कथन कराया गया तथा राजस्व निरिक्षक वृत्त क्र. 1 का भी कथन कराये जाने के उपरांत पटवारी श्री रमेश सोलंकी के कथन के लिये प्रकरण नियत था तथा इस दौरान दिनांक 14/09/2015 को रेस्पोडेंटगण की ओर से एक आवेदन–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट के कथन के अनसार उक्त प्रकरण अवधि बाधित हैं। उक्त आवेदन पर प्रकरण बहस हेतु नियत होने पर दिनांक 16/01/2017 को माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश पारित नही करते हुवे सम्पुर्ण प्रकरण का निराकरण करते हुवे जो आदेश पारित किया गया था,

निरंतर ......

168

210

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.-385/2019/रतलाम/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/12/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	